मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012 (चैत्र 9, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 149 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(जहरीली शराब से दो आदिवासियों की मौत संबंधी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की मांग करते हुए, श्री रामनिवास रावत, सदस्य गर्भगृह में आए तथा अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर वापस अपने आसन पर गए)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य ने भोपाल जिले में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सकों की गलत नियुक्ति होने,
(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने पृथ्वीपुर क्षेत्र के विकासखण्ड जतारा के ग्रामों में विद्यालय खोलने,
(3) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य ने दमोह जिले के हटा स्थित अस्पताल में चिकित्सकों की कमी होने,
(4) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा खाचरोद के ग्रामों में नल जल योजना में पम्पों की बिजली काटी जाने,
(5) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य ने आदिम जाति कल्याण विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले कर्मियों पर कार्रवाई न होने,
(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने टेटरा गोरस सड़क मार्ग के पुल का निर्माण न किये जाने तथा
(7) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने चित्रकूट क्षेत्र में अंधराखोह बांध के पूर्ण निर्माण से सिंचाई रकबा बढ़ाने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम छ:माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ:माही समीक्षा विवरण पटल पर रखा।
(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2007-08 पटल पर रखा।
(3) श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2002-03, अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2003-04, नवम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2004-05, दशम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2005-06, एकादश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07, द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2007-08 तथा त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 में की गई अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पटल पर रखे।
(4) श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2010-11 पटल पर रखे।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 8 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष), डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, के.पी. सिंह तथा सुनील जायसवाल, सदस्यगण ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव निवासी दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत तथा यादवेन्द्र सिंह, सदस्यगण ने भिण्ड जिले की सेवा सहकारी समिति मछण्ड के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य ने मुरैना जिले के नागरिकों पर असत्य प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अपराह्न 1.00 से 2.37 बजे तक अन्तराल)

(4) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने देवास जिले की खातेगांव मण्डी में गेंहू की खरीदी फ्लेट कांटे से न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री पारस जैन, राज्य मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत एवं श्री अजय सिंह (नेता प्रतिपक्ष), सदस्यगण ने भोपाल में पदस्थ उप-पंजीयक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के ग्राम खेजरामाफी में असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही न होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं की गई।

(7) श्री हरेन्द्रजीत सिंह, सदस्य ने जबलपुर की पुरूषार्थ गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य ने धार जिले की ग्राम पंचायत भरावदा के सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने अपना एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/स्वीकृति

(1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति ने शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 को चर्चा के लिये आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु तथा निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक-12)	डॉ. गोविन्द सिंह	20 मिनट
2.	(क्रमांक-13, 21)	सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह, विश्वास सारंग	45 मिनट
3.	(क्रमांक-32)	श्री संजय पाठक	20 मिनट
4.	(क्रमांक-42)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	20 मिनट
5.	(क्रमांक-47)	श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति	45 मिनट

श्रीमती ललिता यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने प्राक्कलन समिति का षष्टम एवं सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पचासवां से एक सौ चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(4) प्रश्न एवं संदर्भ समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्टम तथा सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है :-

(1) लोक लेखा समिति

1. श्री कमल पटेल
2. श्री जुगुल किशोर
3. श्री प्रेमनारायण ठाकुर
4. श्री बाला बच्चन
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री मानवेन्द्र सिंह
7. श्री महेन्द्र सिंह
8. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
9. श्री राकेश शुक्ला
10. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
11 श्री ज्ञान सिंह

श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि प्राक्कलन समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है :-

(2) प्राक्कलन समिति

1. श्री ओमप्रकाश सकलेचा
2. श्री दीपक जोशी
3. श्री पारस दादा सकलेचा
4. श्री ब्रजराज सिंह
5. डॉ. भानुराणा
6. इंजी. लड्डूराम कोरी
7. श्री विश्वेश्वर भगत
8. श्री शरद जैन एडवोकेट
9. श्री सुदर्शन गुप्ता
10. श्री सुरेश चौधरी
11 श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी

श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है :-

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री कमलेश जाटव
2. श्री गिरिजाशंकर शर्मा
3. श्री गिरीश गौतम
4. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
5. श्री जसवंत सिंह हाड़ा
6. श्रीमती नीता पटेरिया
7. श्री ताराचंद बावरिया
8. श्री यादवेन्द्र सिंह
9. श्री विश्वामित्र पाठक
10. श्रीमती साधना स्थापक
11 श्री संजय शाह मकड़ाई

श्री गिरीश गौतम, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 15 उम्मीदवार शेष हैं। चूंकि इस समिति के लिए केवल 15 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं। अत: वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में सेवा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है :-

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

1. श्री कुंवर सिंह टेकाम
2. श्री चंपालाल देवड़ा
3. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
4. इंजी. प्रदीप लारिया
5. श्री प्रहलाद भारती
6. श्री बिसाहूलाल सिंह
7. श्री भगत सिंह नेताम
8. श्री मनीराम धाकड़
9. श्री रामखेलावन पटेल
10. श्री रामचरित्र
11. श्री रामदयाल अहिरवार
12. श्री रामलाल मालवीय
13. श्री रामलल्लू वैश्य
14. श्री लाखन सिंह यादव
15. श्री सुदामा सिंह

श्री सुदामा सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

8. अध्यक्षीय व्यवस्था

नियम शिथिल कर विधेयकों के पुर:स्थापन एवं विचारण विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि "मैंने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 तथा बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 की महत्ता, उपादेयता एवं पारण हेतु तत्परता को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष के स्थायी आदेश की कंडिका 24 तथा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विद्यमान अपेक्षाओं को शिथिल कर आज की कार्यसूची में सम्मिलित विधेयकों को आज ही पुर:स्थापन एवं विचार में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।"

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि अध्यक्ष महोदय द्वारा कल यह कहा गया था कि यह नियम का शिथिलीकरण अपवाद स्वरूप माना जाएगा। अत: इस सम्बन्ध में सरकार को हिदायत दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – "अपवाद आज भी है। मैं सरकार को हिदायत देता हूँ कि अगले सत्रों से समय पर विधेयक पेश करें ताकि मुझे नियमों को शिथिल करने की आवश्यकता न पड़े। यह समय पर बिल क्यों नहीं आ सकते हैं ? डेढ़ महीने का सत्र है, जो काम आज हो रहा है, वह एक हफ्ता पहले भी हो सकता था।"

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय के निर्देश को स्वीकार कर अध्यक्षीय व्यवस्था का पालन करने हेतु आश्वस्त किया गया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) के पुर:स्थापन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव किया।

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुमति प्रदान की गई।

(2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन,आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(4) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(5) श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री रामनिवास रावत

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) राव देशराज सिंह यादव
(5) श्री रामनिवास रावत

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने विधेयक के खण्ड 2 एवं 3 में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव किया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।
यथा संशोधित खण्ड 2 एवं 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना
पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

(1) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने अपना एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

(2) श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने अपना एवं परिवार की सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(8) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन,आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन,आमोद एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(3) श्री पारस सकलेचा

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

(10) श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने प्रस्ताव किया कि बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री प्रेमनारायण ठाकुर

श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जगदीश देवड़ा, जेल मंत्री ने प्रस्ताव किया कि बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्व सम्मति से पारित हुआ।

अपराह्न 6.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 (चैत्र 10, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 2012